



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271704
CG-DL-E-10042026-271704

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 247]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

आय-कर

सा.का.नि. 267(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के राजपत्र, भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना धारित सं. सा.का.नि. 231(अ), दिनांक 30 मार्च, 2026 में :-

- पृष्ठ संख्या 52 पर, अनुसूची-1 में, पंक्ति 2024-25 के स्तंभ (14) और (15) के अंतर्गत ग्रे रंग वाले कक्षों को पंक्ति 2025-26 के स्तंभ (14) और (15) के अंतर्गत रिक्त कक्षों से बदल दिया जाएगा।
- पृष्ठ संख्या 64 पर, अनुसूची सीजी में, पंक्ति मद क(4)(क)(i) और पंक्ति मद क(4)(क)(ii) को हटा दिया जाएगा;
- पृष्ठ संख्या 65 पर, अनुसूची सीजी के, पंक्ति क के अंतर्गत, उप-पंक्ति (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पंक्ति जोड़ी जाएगी, अर्थात्,-

8	अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि का हस्तांतरण, (अनुसूची पीटीआई भरें) (क8क + क 8क + क8ग)	क 8
---	--	-----

- (iv) पृष्ठ संख्या 68 पर, अनुसूची-सीजी में, पंक्ति ख9 के अंतर्गत, एक उप-पंक्ति 'क' को हटा दिया जाएगा।
- (v) पृष्ठ संख्या 70 पर, अनुसूची-सीजी में, पंक्ति ई में, अक्षर और अंक "ख12क" को "ख11क" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) पृष्ठ संख्या 74 पर, अनुसूची ओएस में, पंक्ति 10(3ख) में, कॉलम "15/6 तक" और "16/6 से 15/9 तक" के अंतर्गत रिक्त कोष्ठों का ग्रे रंग हटा दिया जाएगा।
- (vii) पृष्ठ संख्या 78 पर, अनुसूची-सीवाईएलए में, क्रमांक xiv में, (4) के अंतर्गत ग्रे कोष्ठों को स्तंभ (5) के अंतर्गत रिक्त कोष्ठों से बदल दिया जाएगा;
- (viii) पृष्ठ संख्या 87 पर, भाग ख-टीआई में, भाग ख1 में, पंक्ति 12 में, अंकों और अक्षरों "(अनुसूची सीवाईएलए के 2xv, 3xv और 4xv का योग)" के स्थान पर अंक और अक्षर "(अनुसूची सीवाईएलए के 2xiv, 3xiv और 4xiv का योग)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ix) पृष्ठ संख्या 89 पर, भाग ख -टीआई में, भाग ख3 में, पंक्ति 8 में, अंकों और अक्षरों "(अनुसूची सीवाईएलए के 2xv, 3xv और 4xv का योग)" के स्थान पर अंक और अक्षर "(अनुसूची सीवाईएलए के 2xiv, 3xiv और 4xiv का योग)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 62/2026/फा. सं. 370142/10/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
CORRIGENDUM
New Delhi, the 10th April, 2026
INCOME-TAX

G.S.R. 267(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 231(E), dated 30th March, 2026:—

- (i) at page number 52, in schedule-I, greyed cells under column (14) and (15) of row 2024-25 shall be interchanged with blanks cells under column (14) and (15) in row 2025-26;
- (ii) at page number 64, in schedule CG, row item A(4)(a)(i) and row item A(4)(a)(ii) shall be omitted;
- (iii) at page number 65, in schedule CG, under row A, for sub-row (8), the following sub-row shall be inserted, namely,—

8	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8a + A8b + A8c)	A8
---	---	----

- (iv) at page number 68, in schedule-CG, under row B9, one sub-row 'a' shall be deleted;
- (v) at page number 70, in schedule-CG, in row E, letters and figures "B12a" shall be substituted with "B11a";

- (vi) at page number 74, in schedule OS, in row 10(3b), grey colour of the blank cells under column “upto 15/6” and “from 16/6 to 15/9” shall be removed;
- (vii) at page number 78, in schedule-CYLA, in Sl. No. xiv, greyed cells under (4) shall be interchanged with blank cells under column (5);
- (viii) at page number 87, in Part B-TI, in part B1, in row 12, for the figures and letters “(total of 2xv, 3xv and 4xv of Schedule CYLA)”, the figures and letters “(total of 2xiv, 3xiv and 4xiv of Schedule CYLA)” shall be substituted;
- (ix) at page number 89, in Part B-TI, in part B3, in row 8, for the figures and letters “(total of 2xv, 3xv and 4xv of Schedule CYLA)”, the figures and letters “(total of 2xiv, 3xiv and 4xiv of Schedule CYLA)” shall be substituted.

[Notification No. 62/2026/F. No. 370142/10/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy.